रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 14, 2001/माघ 25, 1922

No. 72] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2001/MAGHA 25, 1922

CENTRAL S... LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2001

सा.का.नि. 95 (अ).—गुजरात में भूकंप के कारण रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आर पी एल), जामनगर की फ्लूडाइज्ड कैटेलिटिक क्रेकर यूनिट (एफ सी सी यू) के बंद होने के कारण और कांडला में इंडिया आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आयात टर्मिनल को क्षति के कारण उत्तर पश्चिम भारत की मांग को पूरा करने में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) की उपलब्धता प्रभावित हुई है।

इस स्थिति का सामना करने के लिए रेल/सड़क/जामनगर-लोनी एल पी जी पाइपलाइन द्वारा उत्तर पश्चिम भारत तक संचालन के लिए आर पी एल, जामनगर की भंडारण प्रणाली पर एल पी जी का आयात करने का निर्णय लिया गया है,

आयातित एल पी जी, आर पी एल, जामनगर की भंडारण प्रणाली में लाई जा रही है, जहां आर पी एल, जामनगर की कच्चा तेल आसवन इकाई द्वारा उत्पादित एल पी जी भी लाई जा रही है और दो उत्पादों के इस मिश्रण के कारण वाष्प दबाव विनिर्देश के कम होने के कारण आर पी एल की भंडारण प्रणाली के एल पी जी प्रेषणों का, बी आई एस विनिर्देश संख्या भा.मा 4576 का पालन करना कठिन होगा।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के खंड 15 के अनुसरण में गुजरात में भूकंप जिसने एल पी जी की आपूर्ति को प्रभावित किया है, द्वारा कारित कठिनाईयों पर विचार करते हुए तथा लोकहित में, आर पी एल, जामनगर से एल पी जी प्रेषणों के विषय में वाष्प दबाव से संबंधित बी आई एस विनिर्देश से 15 मार्च, 2001 तक की अवधि के लिए अथवा आर पी एल पर एल पी जी के अंतिम आयात पार्सल की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के लिए, इनमें जो भी पहले हो, इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि आर पी एल द्वारा प्रेषित किए जा रहे सह-मिश्रित उत्पाद का वाष्प दबाव, सरकारी तेल कंपनियों के लेखों पर आयातों के माध्यम से प्राप्त किए गए वाणिज्यिक ब्यूटेन के वाष्प दबाव से कम नहीं होगा।

[फा. सं. पी-17011/25/97-विपणन]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2001

G.S.R. 95(E).—Whereas in the wake of the earthquake in Gujarat, the availability of Liquefied Petroleum Gas (LPG) has been affected in meeting the demand of North-West India due to shut down of Fluidized Catalytic Cracker Unit (FCCU) of Reliance Petroleum Limited (RPL), Jamnagar and also due to damage to Indian Oil Corporation Limited's LPG import terminal at Kandla.

And whereas to meet this situation, it has been decided to import LPG at the storage system of RPL, Jamnagar for movement to North-West India by Rail/Road/Jamnagar-Loni LPG pipeline ;

And whereas, the imported LPG is being brought into the storage system of RPL, Jamnagar where the LPG produced by Crude Distillation Units of RPL, Jamnagar is also being brought and on account of this mixing of the two products, it would be difficult to adhere to the BIS specification No. IS 4576 of the LPG despatches from RPL's storage system on account of lowering of the vapour pressure specification ;

Now, therefore, in pursuance of clause 15 of Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 the Central Government in consideration of the difficulties caused by earthquake in Gujarat which affected the supply of LPG and in the public interest hereby exempts the LPG despatches from RPL, Jamnagar from BIS specification relating to vapour pressure, for a period up to 15th March, 2001 or for a period of one month from the date of receipt of last LPG import parcel at RPL, whichever is earlier subject to the condition that the vapour pressure of co-mingled product being despatched by RPL would not be less than the vapour pressure of the commercial Butane received through imports on Government Oil Companies' account

[F. No. P-17011/25/97-MKT.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.